मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 1703 /1147/2020/38-2 भोपाल, दिनांक: 22/10/2021

आवक 2358
दिनांक 26/10/21

प्रति,

समस्त प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय:- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम (CMCLDP) को पुनः प्रारंभ करने हेतु उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग से सहयोग प्राप्त किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- म.प्र. जन अभियान परिषद् से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 26, दिनांक 13.09.2021

---0---

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई, 2021 को आयोजित म.प्र. जन अभियान परिषद् की शासी निकाय की 12वीं बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम (CMCLDP) म.प्र. जन अभियान परिषद को हस्तांतरित किए जाने तथा हस्तांतरण उपरांत परिषद् के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2021-22 से पुनः प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैचलर इन सोशल वर्क (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास) तथा मास्टर ऑफ सोशल वर्क (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास) पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. पाठ्यक्रम (CMCLDP) औपचारिक रूप से म.प्र.. जन अभियान परिषद् को हस्तांतरित किया जाता है।
2. शैक्षणिक सत्र 2021-22 अंतर्गत विकासखण्ड मुख्यालय पर उपलब्ध शासकीय महाविद्यालय उक्त पाठ्यक्रमों हेतु महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य इस पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन केन्द्र प्रभारी होंगे।
3. अध्ययन केन्द्र प्रभारी प्राचार्य द्वारा रविवार को कक्षा संचालन की आवश्यक व्यवस्था हेतु एक प्रभारी व्यक्ति का तथा पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई व अन्य कार्यों के लिये एक भृत्य का नामांकन किया जावे। इन व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा किया जावेगा।
4. कक्षाएं केवल रविवार को संचालित की जावेगी। रविवार के दिन कक्ष उपलब्ध न होने अथवा किसी विशेष स्थिति में अन्य दिवसों में भी कक्षाएं इस प्रकार संचालित की जा सकती हैं कि महाविद्यालय के सामान्य अध्ययन-अध्यापन एवं अन्य कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
5. पाठ्यक्रम अंतर्गत अकादमिक गतिविधियों आदि के संबंध में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित निर्देश एवं परिपत्र जारी किये जायेंगे।

निरंतर...

पृ.पृशा.

6. अर्द्धवार्षिक/प्रायोगिक/वार्षिक परीक्षा के आयोजन में अध्ययन केन्द्र प्रभारी प्राचार्य एवं अन्य स्टाफ द्वारा अकादमिक/प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जावेगा। इस कार्य हेतु निर्धारित राशि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।

21-10-21

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग

o/c

प्र.क्रमांक: 1704 /1147/2020/38-2 भोपाल, दिनांक: 22 /10/2021

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा भोपाल।
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
7. प्रभारी, आई.टी., उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21-10-21

अवर सचिव
म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग

o/c